

3/यो0स०क०-28/2022
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

116

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 14.8.2025.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए योजना - सबला के सफल क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश मद में रू. 760.31 लाख तथा राज्यांश (सामान्य + विशेष घटक) मद में रू. 2590.50 लाख अर्थात् कुल रू०- 3350.81 लाख (तैंतीस करोड़ पचास लाख इक्यासी हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा ज्ञापांक 5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0) के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए योजना-सबला के संचालनार्थ कुल- रू०- 3050.37 लाख (तीस करोड़ पचास लाख सैंतीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-37 दिनांक- 16.04.2025 द्वारा प्रदान की गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त केन्द्रांश मद में रू. 760.31 लाख तथा राज्यांश (सामान्य + विशेष घटक) मद में रू. 2590.50 लाख अर्थात् कुल रू०- 3350.81 लाख (तैंतीस करोड़ पचास लाख इक्यासी हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व से स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1.	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना - सबला (केन्द्रांश)	60:40/ 50:50	3975 (BR12)	51-2235021020224	0224.20.03 , 21.03	2440.28	760.31
2.	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना - सबला (राज्यांश-सामान्य)			51-2235021020324	0324.20.03 ,21.03	0.02	2400.43
3.	किशोरी बालिकाओं के लिए योजना - सबला (राज्यांश-विशेष घटक)			51-2235027890312	0312.21.03	610.07	190.07
कुल :- (रू० तैंतीस करोड़ पचास लाख इक्यासी हजार)						3050.37	3350.81

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

-2-

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक - 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि० दिनांक 01.04.2025, पत्रांक-600/वि. दिनांक-06.08.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो०स०क०-28/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-17/टि० पर दिनांक-08.08.2025 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०स०क०-28/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-18/टि० पर दिनांक- 13.08.2025 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन



(योगेश कुमार सागर)

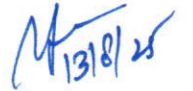
संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो०स०क०-28/2022

116

पटना, दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो०स०क०-28/2022

116

पटना, दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



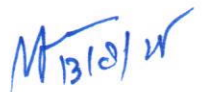
संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो०स०क०-28/2022

116

पटना, दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि - विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव,